



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 46/2019

मंगलाराम उम्र 52 साल पुत्र स्व हनुमान जाति गुर्जर, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

-बनाम-

-अपीलार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

- रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम मंगलाराम अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 11/2018 निर्णय दिनांक 30.07.2018

उपरिस्थिति:-

1. श्री उम्मेदराज सैनी , एडवोकेट ----- अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट----- रेस्पोडेन्ट की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 29.7.2019

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.7.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मंगलाराम मु0नं0 11/2018 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि-अदालत मातहत ने अपीलांट को जमीन खसरा नंबर 782 रकबा 0.91 सरहद मौजा नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी में 100 वर्ग मीट भूमि पर मकान बना होना मानकर बेदखल करने व 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर उसके पिता के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। सन 1997 में अपीलांट के पिता हनुमान के खिलाफ धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार के यहां कार्यवाही शुरू की थी, उसमें अदालत ने अपीलांट के पिता की अपील स्वीकार फरमाते हुए आवंटन नियमन सलाहकार समिति के समक्ष पत्रावली प्रेषित करते हुये धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही डोप की थी, इसलिए अपीलांट का पुराना कब्जा होते हुये भी बेदखली का आदेश विरुद्ध कानून होने से निरस्त होने योग्य है। इसी तरह

59
राजस्थान सरकार
झुंझुनू

को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांत सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है और अभी तक नियमन नहीं हुआ है। अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है। अपीलांत द्वारा जवाब नोटिस के साथ अधीनस्थ न्यायालय में इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा पुराना एवं वैद्य हो । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 30.07.2018 उनवानी सरकार बनाम मंगलाराम मु0नं0 11/2018 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



48
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

47
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू